भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1030

उत्तर देने की तारीख : 08.02.2024

महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

1030. श्रीमती माला राय:

क्या *सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे पंजीकृत सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश में महिलाओं की अगुवाई वाले सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों को वितरित किए गए ऋणों का राज्य - वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में महिलाओं की अगुवाई वाले उद्यमों द्वारा प्रस्तुत किए गए लंबित ऋण आवेदनों का ब्यौरा क्या है और प्राप्त कुल आवेदनों और संवितरण तथा पुनर्भुगतान की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मार्च, 2024 तक सभी आवेदनों को मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव है और यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख): देश में उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के स्वामित्व वाले पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर संलग्न है। पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को प्रदान की गई सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश
अनुबंध-II और अनुबंध-III पर संलग्न है।

(ग) : जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई के 'जीवन चक्र' के दौरान समय पर और पर्याप्त क्रेडिट फ्लो को सुविधाजनक बनाने के लिए 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के क्रेडिट प्रवाह को सुव्यवस्थित करने' पर अगस्त 27, 2015 के परिपत्र एफआईडीडी.एमएसएमई एंड एनएफएस.बीसी सं. 60/06.02.31/2015-16 द्वारा सूचित किया गया है, बैंकों को उचित समय-सीमा के साथ ऋण प्रस्तावों के निपटान की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से वर्णन करने और उपयुक्त पारिश्रमिक अपेक्षाओं पर कोई समझौता किए बिना, निर्दिष्ट अवधि से परे लंबित आवेदनों की समीक्षा करने के लिए एक उपयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई है।

****

अनुबंध–I

"महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम'' पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1030 जिसका उत्तर दिनांक 08.02.2024 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

उद्यम और यूएपी की शुरुआत से दिनांक 05/02/2024 तक उद्यम और यूएपी के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले पंजीकृत एमएसएमई का राज्य-वार ब्यौरा				
क्र.सं.	राज्य का नाम	उद्यम	यूएपी	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,970	437	3,407
2	आंध्र प्रदेश	2,19,293	5,58,319	7,77,612
3	अरुणाचल प्रदेश	3,666	4,013	7,679
4	असम	1,10,276	52,705	1,62,981
5	बिहार	1,63,073	8,78,042	10,41,115
6	चंडीगढ़	6,620	2,104	8,724
7	छत्तीसगढ	54,492	1,97,252	2,51,744
8	दिल्ली	98,274	61,327	1,59,601
9	गोवा	11,353	7,929	19,282
10	गुजरात	2,54,343	3,08,735	5,63,078
11	हरियाणा	1,30,556	1,08,767	2,39,323
12	हिमाचल प्रदेश	26,454	4,282	30,736
13	जम्मू और कश्मीर	80,523	4,680	85,203
14	झारखंड	83,193	2,93,505	3,76,698
15	कर्नाटक	2,91,727	5,18,763	8,10,490
16	केरल	1,43,285	2,61,007	4,04,292
17	लद्दाख	1,826	376	2,202
18	लक्षद्वीप	112	25	137
19	मध्य प्रदेश	1,60,463	7,57,264	9,17,727
20	महाराष्ट्र	8,40,855	7,74,646	16,15,501
21	मणिपुर	26,412	19,119	45,531
22	मेघालय	6,511	2,953	9,464
23	मिजोरम	10,787	6,114	16,901
24	नागालैंड	8,073	11,040	19,113
25	ओडिशा	1,07,506	3,79,569	4,87,075
26	पुडुचेरी	10,253	13,419	23,672
27	पंजाब	1,81,024	89,832	2,70,856
28	राजस्थान	2,22,847	2,62,647	4,85,494
29	सिक्किम	3,106	1,002	4,108
30	तमिलनाडु	6,28,161	5,18,105	11,46,266
31	तेलंगाना	2,33,831	3,45,379	5,79,210
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3,047	1,457	4,504
33	त्रिपुरा	14,804	1,15,096	1,29,900
34	उत्तराखंड	42,311	42,428	84,739
35	उत्तर प्रदेश	3,53,274	8,86,020	12,39,294
36	पश्चिम बंगाल	1,70,918	18,10,667	19,81,585
	कुल:-	**47,06,219**	**92,99,025**	**1,40,05,244**

स्रोत: एनआईसी/उद्यम पोर्टल

अनुबंध–II

"महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1030 जिसका उत्तर दिनांक 08.02.2024 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2000 से दिनांक 31.01.2024 तक सीजीटीएमएसई के तहत अनुमोदित गारंटियों (महिलाएं) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित गारंटियों की संख्यार	राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार	779	56
2	आंध्र प्रदेश	3,24,869	4,024
3	अरुणाचल प्रदेश	3,445	222
4	असम	40,452	1,665
5	बिहार	42,889	2,670
6	चंडीगढ़	2,764	201
7	छत्तीसगढ	18,736	1,299
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	652	126
9	दिल्ली	18,226	2,251
10	गोवा	7,039	451
11	गुजरात	54,161	5,547
12	हरियाणा	28,095	2,478
13	हिमाचल प्रदेश	23,692	1,291
14	जम्मू एवं कश्मीर	92,760	2,040
15	झारखंड	26,457	1,862
16	कर्नाटक	95,828	6,311
17	केरल	1,28,337	2,802
18	लद्दाख	289	22
19	लक्षद्वीप	114	3
20	मध्य प्रदेश	81,173	5,244
21	महाराष्ट्र	80,159	8,837
22	मणिपुर	6,518	196
23	मेघालय	5,098	252
24	मिजोरम	3,778	162
25	नागालैंड	5,820	243
26	ओडिशा	56,240	3,178
27	पुडुचेरी	3,832	194
28	पंजाब	53,344	2,699
29	राजस्थान	60,573	3,092
30	सिक्किम	1,770	83
31	तमिलनाडु	1,76,768	7,751
32	तेलंगाना	45,803	3,225
33	त्रिपुरा	3,877	159
34	उत्तर प्रदेश	1,14,976	7,507
35	उत्तराखंड	17,791	960
36	पश्चिम बंगाल	64,854	4,117
कुल		**16,91,958**	**83,222**

स्रोत: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

अनुबंध–III

"महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1030 जिसका उत्तर दिनांक 08.02.2024 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध।

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2023-24 (दिनांक 30.01.2024 की स्थिति के अनुसार) तक प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत लाभान्वित महिला लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी (करोड़ रुपए में)
1	जम्मू कश्मीर	31,611	554.79
2	लद्दाख	140	5.33
3	हिमाचल प्रदेश	4,587	119.11
4	पंजाब	7,040	292.39
5	चंडीगढ़-संघ राज्य क्षेत्र	181	3.07
6	हरियाणा	5,668	193.02
7	दिल्ली	576	11.30
8	राजस्थान	7,232	297.69
9	उत्तराखंड	5,122	107.32
10	उत्तर प्रदेश	28,621	1,124.41
11	छत्तीसगढ	7,132	203.18
12	मध्य प्रदेश	12,448	490.66
13	सिक्किम	340	7.53
14	अरुणाचल प्रदेश	1,119	28.24
15	नागालैंड	3,944	94.58
16	मणिपुर	4,144	102.41
17	मिजोरम	3,793	59.93
18	त्रिपुरा	2,936	51.73
19	मेघालय	1,912	29.05
20	असम	14,337	165.66
21	बिहार	10,335	319.90
22	पश्चिम बंगाल	18,950	360.56
23	झारखंड	5,012	120.73
24	ओडिशा	15,094	393.01
25	अंडमान निकोबार	482	4.70
26	गुजरात*	17,375	1,401.20
27	महाराष्ट्र**	18,295	517.31
28	गोवा	460	13.42
29	आंध्र प्रदेश	14,864	607.01
30	तेलंगाना	5,963	235.37
31	कर्नाटक	13,529	380.90
32	लक्षद्वीप	49	0.55
33	केरल	11,097	211.46
34	तमिलनाडु	26,488	561.89
35	पुडुचेरी	430	5.28
	कुल	**3,01,306**	**9,074.70**

* दमन और दीव सहित ** दादरा और नगर हवेली सहित

स्रोत: प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)/खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)